पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम 02 13/2017/19(अनु) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव सह निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 28/5/2020

विषय: **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 27.05.2020 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत कुल ₹24.57 करोड़ (चौबीस करोड़ सत्तावन लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **10(स्वी०) दिनांक 27.05.2020** द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु **कुल ₹24.57 करोड़ (चौबीस करोड़ सत्तावन लाख रुपये) मात्र** की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न 'विवरणी–A' के अनुसार 109 (एक सौ नौ) ग्राम पंचायतों के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹24.57 करोड़ (चौबीस करोड़ सत्तावन लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है। इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10(स्वी०) दिनांक 27.05.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मांग संख्या–16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद से निम्नरूपेण की जायेगी:-

क्र०	**योजना शीर्ष**	**राशि (करोड़ में)**
1	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष 0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515001980113 विषय शीर्ष 0113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	16.7076
2	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष 0112 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007890112 विषय शीर्ष 0112.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	7.3710
3	"मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष 0119 मुख्यमंत्री निश्चय योजना"। विपत्र कोड 16-2515007960119 विषय शीर्ष 0119.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	0.4914
	कुल: (चौबीस करोड़ सत्तावन लाख रुपये) मात्र	**24.5700**

लगातार

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से करेंगे एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या **10(स्वी०) दिनांक 27.05.2020** के साथ संलग्न विवरणी 'अनुलग्नक -A' के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS Portal के माध्यम से अंतरित करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4-05/98 2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के ग्राम पंचायतों को इस स्वीकृत एवं आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारुप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या: 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017 के पृष्ठ संख्या 79/प० पर दिनांक 28/05/20 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

28/05/2020

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/19(आ0) पं०रा० पटना, दिनांक 28/5/2020

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nischay\Letter 2020-21.docx

विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम 02-13/2017/19(अनु) पं०रा० पटना, दिनांक 28/5/2020

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03 एवं 05(उपयोगिता प्रामण पत्र कोषांग)/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\7 Nishchay\Letter 2020-21.docx